न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 17/2020 **दायरा दिनांक : 17.02.2020**

उनवान

भंवर लाल पुत्र नाराण, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– वीरम आत्मज रामदयाल, जाति नाई, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– प्रेम आत्मज रामदयाल, जाति नाई, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– रामस्वरूप आत्मज रामदयाल, जाति नाई, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– राजू आत्मज नन्दलाल, जाति नाई, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– कैलाश आत्मज नन्दलाल, जाति नाई, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– रतनलाल आत्मज नन्दलाल, जाति नाई, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)

7– गेन्दी बाई पुत्री नाराण, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– गंगाबाई पुत्री नाराण, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.07.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 144/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कोलूखेड़ीकलां तहसील मनोहरथाना में खसरा नम्बर 695 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 730 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 737 रकबा 1 बिस्वा, कुल 3 किता कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसमें अपीलांट व उसका भाई रतन एवं बहन गेन्दी व गंगा बाई का 1/2 हिस्सा दर्ज है । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा एवं बंटवारे का वाद पेश कर कथन किया कि भंवरक लाल का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हो रहा है,

(महेन्द्र लोढा)

कोटा (राज.)

इनका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह मानकर की प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है । इससे जाहिर होता है कि वाद डिक्री में कोई आपत्ति नहीं है और वाद डिक्री कर अपीलांट व उसके भाई बहन प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर बंटवारे का आदेश पारित कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह मानकर की प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है । उन्हें वाद से कोई आपत्ति नहीं है जबकि प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब दावा पेश किया और दौरान बहस भी अपीलांट प्रतिवादी के वकील साहब उपस्थित थे । विवादित आराजी में अपीलांट व उसके भाई–बहन 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ जिसके आधार पर उक्त वर्णित आराजी में से अपीलांट के भाई बहन का नाम विलोपित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं अंकित नहीं किया कि किस आधार पर अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज किया गया, और किस आधार पर नाम विलोपित करने का आदेश पारित किया गया । बिना आधार के राजस्व रेकार्ड से अपीलांट का नाम विलोपित नहीं किया जा सकता । अपीलांट वर्णित आरकाजी के 1/2 हिस्से के खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं । इस आराजी से रेस्पोडेंट पना कोई अधिकार साबित नहीं कर सके हैं । पूर्ववत ऐसी कोई जमाबंदी या मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट/वादीगण के खाते की हो और गलत रूप से अपीलांट के खाते दर्ज कर दी गई हो । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2020 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य 4 बीघा 7 बिस्वा का विवाद है प्रतिवादीगण 3 लगायत 6 नारान के वारिसान हैं । इनका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किया जावे । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 राजू व प्रतिवादी नम्बर 2 कैलाश 1/2 हिस्से के खातेदार हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार हैं। प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 के पिता नारान ने वादी को आराजी का बेचान कर दिया था। प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं इसलिए इनको कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय कोई भी दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया। हमें प्रोपर सूचना नहीं मिली । अधीनस्थ न्यायालय हमें जवाबदेही व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदार करे । अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2015 (1) आर आर टी पेज 8 एच.सी., 2012 (2) आर आर टी पेज 1390, आर आर टी 2015 (2) पेज 1283, आर आर टी 2008 (2) पेज 1090, आर आर टी 2004 (2) पेज 911 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी 4 बीघा 7 बिस्वा नारान पुत्र देवा के नाम थी । वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड सेल डीड राजू, कैलाश पिता नन्दलाल ने 1/2 हिस्सा खरीद

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

की तथा 1/2 हिस्सा वीरम, प्रेम, रामस्वरूप पुत्र रामदयाल ने क्रय की थी। सैटलमेंट ने 1/2 हिस्सा राजू, कैलाश के नाम दर्ज की लेकिन वीरम, प्रेम, रामस्वरूप के नाम दर्ज नहीं की । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही किया है । अतः अपील खारिज की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1988 (एस सी) पेज 143, आर आर डी 1990 पेज 564, आर आर डी 2008 (1) पेज 154, आर आर डी 2019 पेज 47, आर आर टी 2003 (1) पेज 709 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावा व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई । लेकिन निर्णय में तनकीवार विवेचन नहीं किया गया । हम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांन्त आर आर टी 2015 (2) पेज 1283, आर आर टी 2008 (2) पेज 1090, आर आर टी 2004 (2) पेज 911 पूर्णरूप से यहां चस्पा होते हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है कि विचारण न्यायालय में तनकीयात विरचित की है लेकिन तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया, ना ही साक्ष्य का विवेचन किया और ना ही प्रत्येक तनकी हेतु मूल्यांकन किया गया जो आदेश 20 नियम 5 सी पी सी के आज्ञापक प्रावधान की अपालना की श्रेणी में आता है । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2020 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद पत्र एवं वादोत्तर के आधार पर कायम किये गये आवश्यक विवाद्यकों पर पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं गवाह के समुचित अवसर प्रदान करते हुए

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

तनकीवार निष्कर्ष अंकित करते हुए दावे का गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा